

निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक  
कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 93 / 2018 / रे0वाद /

निर्णय दिनांक :- 17.07.2019

अनवान

1. श्री अर्जुनसिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत उम्र 60 साल निवासी माता की गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. लक्ष्मणसिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत उम्र 55 साल निवासी माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

-----वादी

बनाम

1. श्री विजयसिंह पिता वरदसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. श्री गिरधारीसिंह पिता वरदसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. श्री ईश्वरसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. श्री भवानीसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. श्रीमति गेनकंवर बेवा भंवरसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. श्री भगवतसिंह पिता जोधसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. श्री नारायणसिंह पिता जोधसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
8. श्री भंवरसिंह पिता माधोसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
9. श्री सुमेरसिंह पिता माधोसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

10. श्री मनोहरसिंह पिता माधोसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी माता का गांव  
तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
11. श्री अमरसिंह पिता माधोसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी माता का गांव  
तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
12. श्री हरीसिंह पिता रणसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी माता का गांव तहसील  
देवगढ़ जिला राजसमन्द
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील देवगढ़

—————प्रतिवादीगण

### वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

- उपस्थित :-
01. श्री राजेश समदानी वकील वादी
  02. श्री राजूसिंह वकील प्रतिवादी

वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम माता का गांव पटवार मण्डल नराणा, तहसील देवगढ़ में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी अधिपत्य की कृषि भूमि की खाता नम्बर 4, आ.नं. 149 रकबा 3.02 बीघा, आ.नं. 150 रकबा 0.09, आ.नं. 154 रकबा 2.12 बीघा, आ.नं. 266 रकबा 2.13, आ.नं. 267 रकबा 1.18 बीघा, आ. नं. 268 रकबा 0.12 बीघा, आ.नं. 269 रकबा 9.02, आ.नं. 293 रकबा 5.15 बीघा कुल कित्ता 8 कुल रकबा 26.03 बीघा भूमि स्थित है। उक्त वर्णित आ.न. में कुल कित्ता 8 कुल रकबा 26.03 बीघा में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा दर्ज हैं। उक्त वर्णित आराजी भूमि का विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने से वादीगण को कई बार लगान जमा कराने भूमि पर ऋण लेने भूमि के विकास कार्यों आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिये वादी अपने हिस्से की भूमि का माफिक रेकार्ड व हिस्से व कब्जे अनुसार बंटवाड़ा करा अपना खाता राजस्व रेकार्ड में अलग से कायम कराना चाहता है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को अलग से खाता कायम कराने हेतु कई बार कहा लेकिन प्रतिवादीगण हमेशा टालमटोल करते रहे और अन्त में कहा कि अपनी भूमि का खाता अलग से कायम कराना चाहते हो तो कानूनी कार्यवाही करो विधिवत एवं वैधानिक तरीके से हिस्सा बंटवाड़ा नहीं करने व खाते अलग-अलग न करने से यह वाद कारण उत्पन्न होकर लगातार जारी है। वाद पत्र में अंकित आराजियात ग्राम माता का गांव प.म. नराणा तहसील देवगढ़ में स्थित होकर इस नगरपालिका के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से

वाद प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकार भूमिधारी होने से वाद पत्र में औपचारिक पक्षकार बनाया गया अन्यथा उनके विरुद्ध कोई दाद नहीं चाही गयी है। वाद पत्र निश्चित न्याय शुल्क पर इस न्यायालय में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण 1 से लगायत 12 को मय नकल वाद पत्र के सम्मन जारी किये गये प्रतिवादीगण को जारी सम्मन तामील हो शामिल पत्रावली है प्रतिवादीगण को सम्मन तामील हो जाने पर भी कोई जवाब पेश नहीं किया बल्कि बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिस पर प्रतिवादी संख्या 3,4,5,8,9,10,11 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है। वकील श्री राजूसिंह ने प्रतिवादी संख्या 1,2 की और से वकालत पत्र पेश किया। प्रतिवादी संख्या 13 राज्य सरकार की और से जवाब पेश कर निवेदन किया की रिकार्ड अनुसार बटवाडा किए जाने पर कोई आपति नहीं है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र आदेश एक नियम 10 जाप्ता दिवानी का पेश कर हरिसिंह पिता रणसिंह को पक्षकार बनाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर वादी ने कोई आपति नहीं जताई जिस पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। वादीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित भूमि का मौके पर कब्जेअनुसार व हिस्से अनुसार विभाजन करा विभाजन की डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित है। वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार है अतः रेकार्ड अनुसार वादीगण के प्रतिवादीगण के मध्य बंटवाडा कर दिया जावे तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। वकील वादी ने तर्क दिया कि भूमि सहखातेदारी होने से वादी को भूमि का लगान जमा कराने भूमि पर ऋण लेने तथा भूमि के विकास कार्यों आदि में काफी परेशानी होती है यदि भूमि का माफिक दर्ज रेकार्ड हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवाडा हो वादी का खाता पृथक से कायम हो जाता है तो वादी को इस होने वाली परेशानी से निजात मिल सकेगी। हमने वादी के वाद पत्र जवाबदावा, नकल जमाबंदी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। ग्राम माता का गांव प.ह. नराणा तहसील देवगढ़ में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामिलता खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित है जिसके खाता नम्बर 4, आ.नं. 149 रकबा 3.02 बीघा, आ.नं. 150 रकबा 0.09, आ.नं. 154 रकबा 2.12 बीघा, आ.नं. 266 रकबा 2.13, आ. नं. 267 रकबा 1.18 बीघा, आ.नं. 268 रकबा 0.12 बीघा, आ.नं. 269 रकबा 9.02, आ.नं. 293 रकबा 5.15 बीघा कुल कित्ता 8 कुल रकबा 26.03 बीघा भूमि स्थित है। वर्णित आ.न. में कुल कित्ता 8 कुल रकबा 26.03 बीघा भूमि में वादीगण का 1/6 हिस्सा दर्ज है।

खातेदार उसकी सुविधा हेतु भूमि का बंटवाड़ा करा उसका खाता पृथक से कायम करा सकता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम माता का गांव पटवार हल्का नराणा, तहसील देवगढ़ में खाता नम्बर 4, आ.नं. 149 रकबा 3.02 बीघा, आ.नं. 150 रकबा 0.09, आ.नं. 154 रकबा 2.12 बीघा, आ.नं. 266 रकबा 2.13, आ.नं. 267 रकबा 1.18 बीघा, आ.नं. 268 रकबा 0.12 बीघा, आ.नं. 269 रकबा 9.02, आ.नं. 293 रकबा 5.15 बीघा कुल कित्ता 8 कुल रकबा 26.03 बीघा भूमि स्थित है उक्त भूमि में से वादीगण का 1/6 हिस्सा दर्ज है भूमि का हिस्से एवं कब्जे अनुसार पृथक से राजस्व रेकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण को सूचित करा मौके पर आदेशानुसार बंटवाड़ा करा बंटवाड़ा प्रस्ताव 2 प्रतियों में तैयार कर पेश करें। वादी वादग्रस्त कुलिया लगान की 5 गुणा राशि के स्टाम्प पेश करें तदनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी  
देवगढ़ जिला-राजसमन्द

डिग्री व मुकद्दमे इब्तदाई

निर्णय बईजलास श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड.  
अधिकारी देवगढ़

प्र0सं0 93/2018/रे0वाद/

निर्णय दिनांक :- 17.07.2019

अनवान

1. श्री अर्जुनसिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत उम्र 60 साल निवासी माता की गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. लक्ष्मणसिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत उम्र 55 साल निवासी माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

-----वादी

बनाम

1. श्री विजयसिंह पिता वरदसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. श्री गिरधारीसिंह पिता वरदसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. श्री ईश्वरसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. श्री भवानीसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. श्रीमति गेनकंवर बेवा भंवरसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. श्री भगवतसिंह पिता जोधसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. श्री नारायणसिंह पिता जोधसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
8. श्री भंवरसिंह पिता माधोसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
9. श्री सुमेरसिंह पिता माधोसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

10. श्री मनोहरसिंह पिता माधोसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी माता का गांव  
तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
11. श्री अमरसिंह पिता माधोसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी माता का गांव  
तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
12. श्री हरीसिंह पिता रणसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी माता का गांव  
तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील देवगढ़


—प्रतिवादीगण

### वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू .....  
..... मिनजानिब मुद्वयलह पेश हो वादी का वाद स्वीकार  
किया जाता है तथा ग्राम माता का गांव, पटवार हल्का नराणा, तहसील देवगढ़ में खाता  
नम्बर 4, आ.नं. 149 रकबा 3.02 बीघा, आ.नं. 150 रकबा 0.09, आ.नं. 154 रकबा 2.12  
बीघा, आ.नं. 266 रकबा 2.13, आ.नं. 267 रकबा 1.18 बीघा, आ.नं. 268 रकबा 0.12 बीघा,  
आ.नं. 269 रकबा 9.02, आ.नं. 293 रकबा 5.15 बीघा कुल कित्ता 8 कुल रकबा 26.03  
बीघा भूमि स्थित है। वर्णित आ.न. में कुल कित्ता 8 कुल रकबा 26.03 बीघा भूमि में से  
वादी का 1/6 हिस्सा दर्ज है भूमि का हिस्से एवं कब्जे अनुसार पृथक से राजस्व रेकार्ड  
में अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं।


नीज ..... मुबलिग .....  
.....बाबत ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .....  
..... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .....  
..... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 18 मास जुलाई सन् 2019  
को जारी की गयी।

  
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी  
देवगढ़ जिला-राजसमन्द

मुद्दई	रूपया	पै०	मुद्दायला	रूपया	पै०
स्टाम्प अरजी दावा	2	00	स्टाम्प वकालातनामा	0	00
स्टाम्प वकालातनामा	1	00	स्टाम्प अरजी	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	महनताना वकील )पर	0	00
महनताना वकील )पर	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	फीस कमीशनर	0	00
फीस कमीशनर	0	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	0	00		0	
			मिजान		
मिजान	3	00		00	00

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिएँ।

  
 सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी  
 देवगढ़ जिला-राजसमन्द